मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
चतुर्थ एवं पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक : 20 जून, 2007

क्रमांकः 1142/म.प्र.विनिआ/2007. विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43 (1) सहपठित धारा 181 (2) (टी), धारा 44, धारा 46 सहपठित धारा 181 (1), धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (व्ही), धारा 47 (4) सहपठित धारा 181 (डब्लू), धारा 47 (2, 3 और 5), धारा 48 (बी), धारा 50 सहपठित धारा 181 (2) (एक्स), धारा 56 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (जे) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861–विनिआ–04 दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्न संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में चौदहवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (चौदहवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (xiv), वर्ष 2007)'' कही जावेगी ।**

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अध्याय 1 में संशोधन :

(i) ''**मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004**'' जिसे इसके बाद प्रधान संहिता कहा जावेगा, की **कण्डिका 1.6** की उप कण्डिका (अ), (ब) तथा (द) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :

''(अ) राज्य के प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि ।

(ब) राज्य पारेषण उपयोगिता एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि ।

(स) अन्य हितबद्ध हितधारक (स्टेकहोल्डर) अथवा समूह जो आयोग के विचारानुसार उपयुक्त हो ।''

(ii) प्रधान संहिता की **कण्डिका 1.7** जिसे कि पूर्व में **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (सातवां संशोधन) एजी–1 (vii), वर्ष 2006)''** द्वारा संशोधित किया गया था, को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग समीक्षा पेनल के लिये विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधियों में से एक को अध्यक्ष एवं एक को सदस्य–सचिव नियुक्त करेगा । समीक्षा पेनल के अध्यक्ष का दायित्व प्रत्येक वितरण कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक (सीएमडी) द्वारा, आयोग द्वारा निर्धारित क्रमानुसार, ग्रहण किया जावेगा । जिस वितरण कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक द्वारा समीक्षा पेनल के अध्यक्ष का दायित्व वहन किया जावेगा वह अपनी कंपनी के एक अधिकारी को समीक्षा समिति का सदस्य–सचिव नियुक्त करेगा । उसी कंपनी द्वारा समीक्षा समिति को सभी प्रकार के साधन, प्रशासनिक अथवा अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी । समीक्षा समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये की जावेगी ।''

आायोग के आदेशानुसार,

अशोक शर्मा, आयोग सचिव